न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 167 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

आई.के.एफ. फाईनेंस लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी **मौलिक निकुंजभाई बोदीवाला**
रजिस्टर्ड कार्यालयः– डी–40–1–144, कॉर्पोरेट सेन्टर, एम.जी.रोड़, विजयवाड़ा, आंध्रप्रदेश–520010

शाखा कार्यालयः– एफ–2–ए, जगदम्बा टॉवर, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर (राज.)

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **मैसर्स सेवदा मार्केटिंग जरिये प्रोपेराईटर नरेन्द्र कुमार सेवदा,** पता–वार्ड नं. 10, कंवरपुरा, धोद, कंवरपुरा रोड़, सीकर (राज.)
2. **नरेन्द्र कुमार सेवदा पुत्र रामु राम,** पता–वार्ड नम्बर 10, कंवरपुरा, सीकर, (राज.)
3. **केशर देव पुत्र रामु राम,** पता–वार्ड नम्बर 10, कंवरपुरा, सीकर, (राज.)
4. **रामु राम पुत्र काना राम,** पता–वार्ड नम्बर 10, कंवरपुरा, सीकर, (राज.)
5. **सुंदर पत्नी रामु राम,** पता–174, सेवदों की ढाणी, वार्ड नम्बर 10, कंवरपुरा, सीकर

– अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 15 सितम्बर, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री विक्रम सिंह** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **मैसर्स सेवदा मार्केटिंग जरिये प्रोपेराईटर नरेन्द्र कुमार सेवदा, नरेन्द्र कुमार सेवदा पुत्र रामु राम, केशर देव पुत्र रामु राम, रामु राम पुत्र काना राम** एवं **सुंदर पत्नी रामु राम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **नरेन्द्र कुमार सेवदा पुत्र रामु राम** के स्वामित्व की बंधक आवासीय सम्पत्ति **खसरा नम्बर 929, 931 व 935 का भाग, ग्राम आसपुरा, तहसील धोद, पटवार हल्का कंवरपुरा, जिला–सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 3516.21 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में 20 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम दिशा में हरिराम का रास्ता, उत्तर दिशा में जगदीश पुत्र कानाराम का मकान व जमीन एवं दक्षिण दिशा में 20 फीट चौड़ा रास्ता स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹30,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये तीस लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **19.03.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **19.03.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **मैसर्स सेवदा मार्केटिंग जरिये प्रोपेराईटर नरेन्द्र कुमार सेवदा, नरेन्द्र कुमार सेवदा पुत्र रामु राम, केशर देव पुत्र रामु राम, रामु राम पुत्र काना राम** एवं **सुंदर पत्नी रामु राम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **नरेन्द्र कुमार सेवदा पुत्र रामु राम** के स्वामित्व की बंधक आवासीय सम्पत्ति **खसरा नम्बर 929, 931 व 935 का भाग, ग्राम आसपुरा, तहसील धोद, पटवार हल्का कंवरपुरा, जिला–सीकर, (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 3516.21 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में 20 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम दिशा में हरिराम का रास्ता, उत्तर दिशा में जगदीश पुत्र कानाराम का मकान व जमीन एवं दक्षिण दिशा में 20 फीट चौड़ा रास्ता स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

6. आदेश आज दिनांक **15 सितम्बर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर